



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक : F.9(37)आयु.उ./मार्क./99/पार्ट-II

दिनांक : 10/7/2015

:: आदेश ::

वित्त (सा.वि.ले.नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक-प.1(1)वित्त/सा.वि.ले. नि./2007 दिनांक 27.6.2011 के द्वारा सामान्य वित्त लेखा नियम-भाग-II के नियम 50 के उप नियम (V) की अनुपालना में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, सहायक निदेशक, उद्योग तथा महाप्रबंधक को आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। उद्योग विभाग के प्रतिनिधि को अब अनुसूची-प्रथम में उल्लेखित उत्पादों की खरीद सम्बन्धित बैठकों में ही भाग लेना होगा। अतः इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2014 का अतिक्रमण करते हुए निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित विभागों की क्रय समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	मनोनीत अधिकारी का नाम एवं पद	विभाग का नाम
1.	श्री पी. एन. पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414066528 E-Mail—indrajfo5@rajasthan.gov.in	1. आयुक्त, विशेष योग्य जन विभाग, जयपुर। 2. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर। 3. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर। 4. सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर।
2.	श्री पी. के. जैन, संयुक्त निदेशक, उद्योग Mob. No. 9460069677 E-Mail—indrajfo6@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज, जयपुर। 2. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जयपुर। 3. सचिव, लोकायुक्त, शासन सचिवालय, जयपुर। 4. अधीक्षण अभियन्ता, भू-जल विभाग, जयपुर।
3.	श्री अविन्द्र लदढा, संयुक्त निदेशक, उद्योग Mob. No. 829368001 E-Mail—indrajfo7@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, संस्कृत एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर। 2. आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर। 3. आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर। 4. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
4.	श्री संजीव सक्सेना, संयुक्त निदेशक, उद्योग Mob. No. 7665055556 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. निदेशक, सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5.	श्री एस. एस. शाह, संयुक्त निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414320421 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज एवं SMS, जयपुर। 2. उप शासन सचिव (कार्मिक) सचिवालय, जयपुर। 3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर। 4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।
6.	श्री पी. आर. शर्मा, उप निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414076857 E-Mail—indrajfo8@rajasthan.gov.in	1. महानिदेशक, आयोजना कल्याण पुलिस विभाग, जयपुर। 2. सचिव, मदरसा बोर्ड, जयपुर। 3. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर। 4. महानिदेशक, राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर।
7.	श्री पी. एन. शर्मा, उप निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414100472 E-Mail—indrajfo12@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा/शिक्षा संकुल, जयपुर। 2. निदेशक, स्टेट काईम रिकार्ड ब्यूरो, जयपुर। 3. निदेशक, राज्य विशेष शाखा CID, जयपुर। 4. आयुक्तालय, पुलिस, जयपुर।

क्रमशः-----2


Meeting H1.doc



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

2

8.	श्रीमती शिल्पी आर. पुरोहित, उप निदेशक, उद्योग Mob. No. 9829596665 E-Mail—indrajfo13@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग तथा महिला बाल विकास (जिला परिषद्) जयपुर। 2. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर। 3. प्रिंसीपल महिला पॉलीटेक्निकल कॉलेज, जयपुर। 4. सचिव, वॉटर सप्लाई सीवरेज मैनेजमेंट, शासन सचिवालय, जयपुर।
9.	श्री धर्मेन्द्र पूनिया, उप निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414951008 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, स्थानीय निधी एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर। 3. प्राचार्य दन्त चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर। 4. मुख्य अभियन्ता, PWD, जयपुर।
10.	श्री के. के. पारीक, उप निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414043096 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. अति. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, पुलिस दूरसंचार विभाग, जयपुर। 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
11.	श्री अमिताभ बोहरा, सहायक निदेशक, उद्योग Mob. No. 9828249921 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, राजकॉम, योजना भवन, जयपुर। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर। 3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। 4. होम गार्ड विभाग, जयपुर। 5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
12.	श्री रश्मि कान्त नागर, सहायक निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414043073 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, शास्त्री नगर, जयपुर। 3. नियन्त्रक, मोटर गैराज, जयपुर। 4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर। 5. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, जयपुर।
13.	श्री रवि गुप्ता, सहायक निदेशक, उद्योग Mob. No. 9414255193 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर। 2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। 3. निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, मनी सचिवालय, जयपुर। 4. मुख्य अभियन्ता, PHED विभाग, जयपुर। 5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
14.	श्री जी. पी. बिस्सा, सहायक निदेशक, उद्योग Mob. No. 9460866765 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, चिकित्सा भ्रमणशील इकाई, जयपुर। 2. निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर। 4. निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर। 5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर। 6. निदेशक, पुरातत्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमशः-----3



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

3

15.	श्री आर. के. आमेरिया, महाप्रबन्धक, जि.उ.के., जयपुर (शहर) Mob. No. 9314296946 dic.jpr.urban @ rajasthan.gov.in	सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर, बीसलपुर परियोजना, जल भवन, सिविल लाईन्स, जयपुर।
16.	श्री मधुसूदन शर्मा महाप्रबन्धक, जि.उ.के., जयपुर (ग्रामीण) Mob. No. 9414100472 dic.jpr.rural @ rajasthan.gov.in	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, PHED, जयपुर रीजन, जयपुर।
17.	श्री विपुल जानी, महाप्रबन्धक, जि.उ.के., उदयपुर। Mob. No. 9413750330	1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर। 2. देवस्थान विभाग, खान एवं भू-विज्ञान विभाग। 3. आयुक्त, जन जातीय क्षेत्र विकास विभाग।
18.	श्री वाई. एन. माथुर, महाप्रबन्धक, जि.उ.के., जोधपुर। Mob. No. 9252810950 dic.Jodhpur @ rajasthan.gov.in	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
19.	श्री आर. के. सेठिया महाप्रबन्धक, जि.उ.के., बीकानेर। Mob. No. 9414509906 dic.bikaner @ rajasthan.gov.in	आयुक्त, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रय समितियों में मनोनीत सभी अधिकारी स्वयं भाग लेंगे। अति आवश्यक राजकीय कार्य में व्यस्त होने पर सम्बन्धित विभाग से अपने स्तर पर अन्य तिथि व समय हेतु आग्रह कर आवश्यक कार्यवाही करवायेंगे। विशेष परिस्थितियों में संयुक्त निदेशक, उद्योग (विपणन) को संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, उद्योग स्तर के अधिकारियों को उपरोक्त समितियों में भाग लेने बाबत भिजवाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

जिला स्तरीय एवं क्षेत्र स्तरीय सभी प्रकार की क्रय समितियों में सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.6.2011 में प्रावधानुसार आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे।

(अभय कुमार)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : F.9(37)आयु.उ./मार्के./99/पार्ट-II

दिनांक : 10/7/2015

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, वित्त (सा. वि. ले. नि.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सम्बन्धित विभाग —————को प्रेषित कर निवेदन है कि बैठक में भाग लेने हेतु मनोनीत संबंधित अधिकारी का मोबाईल नम्बर व ई-मेल नाम के नीचे अंकित कर दिया गया है। अतः बैठक आयोजित की सूचना शीघ्र ही संबंधित अधिकारी को तीन दिवस पूर्व मय एजेण्डा भिजवाने का श्रम करावें।
3. सम्बन्धित अधिकारी श्री —————को प्रेषित कर लेख है कि अनुसूची प्रथम में लघु उद्योग इकाईयों हेतु जो आईटम आरक्षित हैं, वे आईटम्स गैर लघु उद्योग संस्थानों/डीलर से क्रय नहीं किये जावें तथा लघु उद्योग इकाईयों के विपणन प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने हेतु भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को कय वरीयता) नियम, 1995 में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

(पी. आर. शर्मा.)
उप निदेशक, उद्योग



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक : F.9(37)आयु.उ./मार्के./99/पार्ट-II

दिनांक: 24/12/2014

:: आदेश ::

वित्त (सा.वि.ले.नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक-प.1(1)वित्त/सा.वि.ले. नि./2007 दिनांक 27.6.2011 के द्वारा सामान्य वित्त लेखा नियम-भाग-II के नियम 50 के उप नियम (V) की अनुपालना में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, सहायक निदेशक, उद्योग तथा महाप्रबंधक को आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। उद्योग विभाग के प्रतिनिधि को अब अनुसूची-प्रथम में उल्लेखित उत्पादों की खरीद सम्बन्धित बैठकों में ही भाग लेना होगा। अतः इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 03.09.2014 का अतिक्रमण करते हुए निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित विभागों की कय समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	मनोनीत अधिकारी का नाम एवं पद	विभाग का नाम
1.	श्री पी. एन. पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, उद्योग M.9414066528 E-Mail—indrajfo5@rajasthan.gov.in	1. आयुक्त, विशेष योग्य जन विभाग, जयपुर। 2. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर। 3. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर। 4. सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर।
2.	श्री पी. के. जैन, संयुक्त निदेशक, उद्योग M.9460069677 E-Mail—indrajfo6@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज. जयपुर। 2. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जयपुर। 3. सचिव, लोकायुक्त, शासन सचिवालय, जयपुर। 4. अधीक्षण अभियन्ता, भू-जल विभाग, जयपुर।
3.	श्री अविन्द्र लढ्ढा, संयुक्त निदेशक, उद्योग M.9829368001 E-Mail—indrajfo7@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, संस्कृत एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर। 2. आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर। 3. आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर। 4. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
4.	श्री संजीव सक्सेना, संयुक्त निदेशक, उद्योग M.7665055556 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. निदेशक, सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5.	श्री आर. के. आमेरिया, संयुक्त निदेशक, उद्योग M.9414109360 E-Mail—indrajfo8@rajasthan.gov.in	1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर। 2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। 3. निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर। 4. मुख्य अभियन्ता, PHED विभाग, जयपुर।
6.	श्री मधुसूदन शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग M.9414272330 E-Mail—indrajfo9@rajasthan.gov.in	1. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर। 3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर। 4. निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमशः.....2



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

2

7.	श्री एस. एस. शाह, संयुक्त निदेशक, उद्योग M.9414320421 E-Mail—indrajfo10@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, चिकित्सा भ्रमणशील इकाई, जयपुर। 2. निदेशक, पुरातत्व विभाग, राज. जयपुर। 3. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर। 4. निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर।
8.	श्री सी. बी. नवल, उप निदेशक, उद्योग M.9414706264 E-Mail—indrajfo11@rajasthan.gov.in	1. महानिदेशक, आयोजना कल्याण पुलिस विभाग, जयपुर। 2. सचिव, मदरसा बोर्ड, जयपुर। 3. पंजीयन, सहकारिता विभाग, जयपुर। 4. महानिदेशक, राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर।
9.	श्री चिरंजीलाल, उप निदेशक, उद्योग M.9414458711 E-Mail—indrajfo12@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा/शिक्षा संकुल, जयपुर। 2. निदेशक, स्टेट काईम रिकार्ड ब्यूरो, जयपुर। 3. निदेशक, राज्य विशेष शाखा CID, जयपुर। 4. आयुक्तालय, पुलिस, जयपुर।
10.	श्रीमती शिल्पी आर. पुरोहित, उप निदेशक, उद्योग M.9829596665 E-Mail—indrajfo13@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग तथा महिला बाल विकास (जिला परिषद्) जयपुर। 2. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर। 3. प्रिन्सिपल महिला पॉलीटेक्निकल कॉलेज, जयपुर। 4. सचिव, वॉटर सप्लाई सीवरेज मैनेजमेंट, शासन सचिवालय, जयपुर।
11.	श्री अमिताभ बोहरा, सहायक निदेशक, उद्योग M.9828249921 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, राजकॉम, योजना भवन, जयपुर। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर। 3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। 4. होम गार्ड विभाग, जयपुर। 5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
12.	श्री धर्मेन्द्र पूनिया, सहायक निदेशक, उद्योग M.9414951008 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, स्थानीय निधी एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर। 3. प्राचार्य दन्त चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर। 4. मुख्य अभियन्ता, PWD, जयपुर।
13.	डॉ. निधी शर्मा, सहायक निदेशक, उद्योग M.9829828820 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. प्रिन्सिपल, मेडिकल कॉलेज एवं SMS, जयपुर। 2. उप शासन सचिव (कार्मिक) सचिवालय, जयपुर। 3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर। 4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।
14.	श्री शैलेन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक, उद्योग M.8432377746 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, शास्त्री नगर, जयपुर। 3. नियन्त्रक, मोटर गैराज, जयपुर। 4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

क्रमशः.....3



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

3

15.	श्री के. के. पारीक, सहायक निदेशक, उद्योग M.9414043096 E-Mail—indraj@rajasthan.gov.in	1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, पुलिस दूरसंचार विभाग, जयपुर। 4. वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
16.	श्री सियाराम मीणा, महाप्रबन्धक, जि.उ.के., जयपुर (शहर) M.9314296946 dic.jprurban@rajasthan.gov.in	सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर, बीसलपुर परियोजना, जल भवन, सिविल लाईन्स, जयपुर।
17.	श्री पी. एन. शर्मा महाप्रबन्धक, जि.उ.के., जयपुर (ग्रामीण) M.9414100472 dic.jprural@rajasthan.gov.in	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, PHED, जयपुर रीजन, जयपुर।
18.	श्री विपुल जानी, महाप्रबन्धक, जि.उ.के., उदयपुर। M.9413750330 dic.udaypur@rajasthan.gov.in	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
19.	श्री वाई. एस. दुबे महाप्रबन्धक, जि.उ.के., जोधपुर। M.9799177600 dic.jodhpur@rajasthan.gov.in	बोर्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
20.	श्री आर. के. सेठिया महाप्रबन्धक, जि.उ.के., बीकानेर। M.9414509906 dic.bikaner@rajasthan.gov.in	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

कय समितियों में मनोनीत सभी अधिकारी स्वयं भाग लेंगे। अति आवश्यक राजकीय कार्य में व्यस्त होने पर सम्बन्धित विभाग से अपने स्तर पर अन्य तिथि व समय हेतु आग्रह कर आवश्यक कार्यवाही करवायेगें। विशेष परिस्थितियों में संयुक्त निदेशक, उद्योग (विपणन) को संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, उद्योग स्तर के अधिकारियों को उपरोक्त समितियों में भाग लेने बाबत भिजवाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

जिला स्तरीय एवं क्षेत्र स्तरीय सभी प्रकार की कय समितियों में सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.6.2011 में प्रावधानुसार आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे।


(अमय कुमार)
आयुक्त, उद्योग

कमांक : F.9(37)आयु.उ./मार्के./99/पार्ट-II

दिनांक: 24-12-2014

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशेषाधिकारी, वित्त (सा. वि. ले. नि.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- सम्बन्धित विभाग —————को प्रेषित कर निवेदन है कि बैठक में भाग लेने हेतु मनोनीत संबंधित अधिकारी का मोबाईल नम्बर व ई-मेल नाम के नीचे अंकित कर दिया गया है। अतः बैठक आयोजित की सूचना शीघ्र ही संबंधित अधिकारी को तीन दिवस पूर्व मय एजेण्डा भिजवाने का श्रम करावें।
- सम्बन्धित अधिकारी श्री—————को प्रेषित कर लेख है कि अनुसूची प्रथम में लघु उद्योग इकाईयों हेतु जो आईटम आरक्षित हैं, वे आईटम्स गैर लघु उद्योग संस्थानों/डीलर से कय नहीं किये जावें तथा लघु उद्योग इकाईयों के विपणन प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने हेतु भण्डार कय (राजस्थान के उद्योगों को कय वरीयता) नियम, 1995 में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन न हो।


(आर. के. आमेरिया)
संयुक्त निदेशक, उद्योग



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक एफ 9(37)आ.उ./मार्क./99/पार्ट-आ

दिनांक : 03/09/2014

आदेश

वित्त (सा.वि.ले.नियम) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(1)वित्त/सा.वि.ले.नि. /2007 दिनांक 27.06.2011 के द्वारा सामान्य वित्त लेखा नियम-भाग-आ के नियम 50 के उप नियम (V) की अनुपालना में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, सहायक निदेशक, उद्योग तथा महाप्रबन्धक को आयुक्त उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। उद्योग विभाग के प्रतिनिधि को अब अनुसूची-प्रथम में उल्लेखित उत्पादों की खरीद सम्बन्धित बैठकों में ही भाग लेना होगा। अतः इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 08.03. 2013 का अतिक्रमण करते हुये निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित विभागों की क्रय समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु मनोनीत किया जाता है।

क्र. स.	मनोनीत अधिकारी का नाम एवं पद	विभाग का नाम
1.	श्री पी.एन.पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, उद्योग,	1. आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर। 2. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर। 3. सचिव, इन्दिरा गाँधी नहर मण्डल, जयपुर। 4. सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर।
2.	श्री पी.के. जैन संयुक्त निदेशक, उद्योग	1. निदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज. जयपुर। 2. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जयपुर। 3. सचिव, लोकायुक्त, शासन सचिवालय, जयपुर। 4. अधीक्षण अभियन्ता, भू-जल विभाग, जयपुर।
3.	श्री अविन्द्र लढ्ढा। संयुक्त निदेशक, उद्योग।	1. निदेशक, संस्कृत एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर। 2. आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर। 3. आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर। 4. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
4.	श्री संजीव सक्सेना, संयुक्त निदेशक, उद्योग	1. सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. निदेशक, सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5.	श्री आर.के. आमेरिया संयुक्त निदेशक, उद्योग	1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर। 2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर। 3. निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग,मिनी सचिवालय, जयपुर। 4. मुख्य अभियन्ता, पी.एच.ई.डी., जयपुर।
6.	श्री मधुसूदन शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग	1. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर। 3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर। 4. निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

7.	श्री एस.एस.शाह, संयुक्त निदेशक, उद्योग	1. निदेशक, चिकित्सा भ्रमणशील इकाई, जयपुर। 2. निदेशक, पुरातत्व विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर। 4. निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर।
8.	श्री सी.बी.नवल, उप निदेशक, उद्योग	1. महानिदेशक, आयोजना कल्याण पुलिस विभाग, जयपुर। 2. सचिव, मदरसा बोर्ड, जयपुर। 3. पंजीयक, राजस्व विभाग, जयपुर। 4. महानिदेशक, राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर।
9.	श्री चिरंजी लाल, उप निदेशक, उद्योग	1. निदेशक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर। 2. निदेशक, स्टेट काईम रिकार्ड ब्यूरो, जयपुर। 3. निदेशक, राज्य विशेष शाखा CID जयपुर। 4. आयुक्तालय, पुलिस, जयपुर।
10.	श्रीमती शिल्पी आर.पुरोहित, उप निदेशक, उद्योग	1. निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग। 2. महिला अधिकारिता विभाग। 3. प्रिंसीपल महिला पोलोटेक्निक कॉलेज, जयपुर। 4. सचिव वाटर सप्लाई, सीवरेज मैनेजमेन्ट शासन सचिवालय, जयपुर।
11.	श्री अमिताभ बोहरा, सहायक निदेशक, उद्योग	1. निदेशक, राजकॉम्प, योजना भवन, जयपुर। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर। 3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। 4. होम गार्ड विभाग, जयपुर। 5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
12.	श्री धर्मेन्द्र पूनिया, सहायक निदेशक, उद्योग	1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, स्थानीय निधी एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर। 3. प्राचार्य, दन्त चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर। 4. मुख्य अभियन्ता PWD, जयपुर।
13.	डॉ. निधि शर्मा, सहायक निदेशक, उद्योग	1. प्रिंसीपल एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर। 2. उप शासन सचिव (कार्मिक) शासन सचिवालय, जयपुर। 3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर। 4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।
14.	श्री शैलेन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक, उद्योग	1. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर। 2. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, शास्त्री नगर, जयपुर। 3. नियन्त्रक, मोटर गैराज, जयपुर। 4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15.	श्री के.के. पारीक, सहायक निदेशक, उद्योग	1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, पुलिस दूरसंचार विभाग, जयपुर। 4. वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

16.	महाप्रबन्धक, जि.उ.के. जयपुर (शहर)	सुपरिटेन्डिंग इन्जिनियर बीसलपुर परियोजना, जल भवन, सिविल लाईन्स, जयपुर।
17.	महाप्रबन्धक, जि.उ.के. जयपुर (ग्रामीण)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी, जयपुर रीजन, जयपुर।
18.	महाप्रबन्धक, जि.उ.के. उदयपुर	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
19.	महाप्रबन्धक, जि.उ.के. जोधपुर	बोर्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
20.	महाप्रबन्धक, जि.उ.के. बीकानेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

कय समितियों में मनोनीत सभी अधिकारी स्वयं भाग लेंगे। अति आवश्यक राजकीय कार्य में व्यस्त होने पर सम्बन्धित विभाग से अपने स्तर पर अन्य तिथि व समय हेतु आग्रह कर आवश्यक कार्यवाही करवायेंगे। विशेष परिस्थितियों में संयुक्त निदेशक, उद्योग (विपणन) को संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, उद्योग स्तर के अधिकारियों को उपरोक्त समितियों में भाग लेने बाबत भिजवाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

जिला स्तरीय एवं क्षेत्र स्तरीय सभी प्रकार की कय समितियों में सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2011 में प्रावधानुसार आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे।


(मधुसूदन शर्मा)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक एफ 9(37)आ.उ./मार्क./99/पार्ट-II

दिनांक 03/09/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, वित्त (सा.वि.ले.नि.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सम्बन्धित विभाग-----
3. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र-----
4. सम्बन्धित अधिकारी श्री

को प्रेषित कर लेख है कि अनुसूची प्रथम में लघु उद्योग इकाइयों हेतु जो आईटम आरक्षित है, वे आईटम्स गैर लघु उद्योग संस्थानों/डीलर से कय नहीं किये जावे तथा लघु उद्योग इकाइयों के विपणन प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने हेतु भण्डार कय (राजस्थान के उद्योगों को कय वरियता) नियम, 1995 में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन न हों।


आयुक्त, उद्योग